फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

डालूराम बनाम सरकार

केस संख्या 186/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 8/7/25 को पेश हो
	8/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार/वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा बयान का मनन किया गया। अतः अवलोकन करने व बयान का मनन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल फाईल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नतीजा शुमार होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
186 / 2024	06 / 11 / 2024	08 / 07 / 2025

1. डालूराम पुत्र रामसुखा जाति मीना मूल निवासी चक इन्द्रगढ एवं हाल निवासी रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादी

दावा घोषणा बाबत खातेदारी नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 1.6300है0 अनुसार ग्राम राहोरी, पटवार हल्का राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरित दर्ज होने से विवादित आराजियात है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा अनुसार अंकित है। जो कि वादग्रस्त भूमियों को वादी एवं वादी के सगे भाई जगदीश, गोपाल, कैलाश पुत्रान रामसुखा द्वारा जरिये पंजिकृत विकय पत्र सन 1998 मे कय किया गया था। जो कि वादग्रस्त भूमि के निष्पादित विकय पत्र में वादी का नाम डालूराम पुत्र रामसुखा के स्थान पर वादी के बोलते नाम प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा दर्ज कर दिया गया, जो कि सदभावी भूल व चूक के द्वारा प्रार्थी वादी का नाम वादग्रस्त भूमियों के रिकार्ड में वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम के स्थान पर बोलते नाम अनुसार त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होकर चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त कराने का वादी अधिकारी है। प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा एवं डालूराम पुत्र रामसुखा एक ही व्यक्ति है, जो कि वादी स्वयं है। प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा व डालूराम पुत्र रामसुखा अलग–अलग व्यक्ति नही है। जिससे वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की खातेदारी प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा के स्थान पर वादी का नाम डालूराम पुत्र रामसुखा अनुसार दुरूस्तीकरण की घोषणा कराने का वादी अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित आराजि में वादी के खातेदारी इन्द्राज प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा के स्थान पर डालूराम पुत्र रामसुखा अनुसार खातेदारी दुरूस्त करने की घोषणा की जावे तथा तदानुसार राजस्व इन्द्राज में वादी के नाम का शुद्विकरण व दुरूस्तीकरण करने के आदेश प्रदान किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक / भू0अ0 / 25 / 5790 दिनांक 30.06.25 को रिपोर्ट / जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ग्राम राहोरी के खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63है0 भूमि वादी की सहखातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा संलग्न रजि0 विकय सन 1998 की प्रति में वादी का नाम प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा दर्ज होकर नामा0 सं0 386 में भी प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा दर्ज है। जिसका अमल होकर जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा दर्ज है। लेकिन वादी के सभी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैक पासबुक एवं स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रानुसार वादी का नाम डालूराम पुत्र रामसुखा अकित है। सरपंच ग्राम पंचायत रूपवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वादी का नाम प्रभाती पुत्र रामसुख एवं डालूराम पुत्र रामसुख दोनों नाम एकी ही व्यक्ति होना बताया गया है। अतः नियमानुसार संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रभातीलाल पुत्र रामसुख के बजाय डालूराम पुत्र रामसुख किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम राहोरी, पटवार हल्का राहोरी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 187 दिनांक 1.6300है0 के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा के स्थान पर प्रभातीलाल उर्फ डालूराम पुत्र रामसुखा अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

डालूराम बनाम सरकार

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :– 186 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम राहोरी, पटवार हल्का राहोरी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 187 दिनांक 1.6300है0 के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम प्रभातीलाल पुत्र रामसुखा के स्थान पर प्रभातीलाल उर्फ डालूराम पुत्र रामसुखा अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री दिनांक 08.07..2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner